न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
12/22	एफएसएस एक्ट, 2006	15/09/2022

पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
—आवेदक

बनाम

1. निरंजन गुर्जर पुत्र श्री धनजी गुर्जर उम्र 27 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मंदिर वाली गली, ग्राम एण्डा पंचायत एण्डा फर्म– देव मिष्ठान भण्डार पता– उधाडमल बालाजी के पास ,गंगापुर सिटी।
2. जयनारायण पुत्र श्री सुखलाल गुर्जर (मालिक) –फर्म – देव मिष्ठान भण्डार उधाडमल बालाजी के पास ,गंगापुर सिटी।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा दिनांक 30.10.20201 को मैसर्स देव मिष्ठान भण्डार , मोबाईल फूड वेन बोलरो पिकअप गाडी नं0 आरजे 25 जीए 5422 हैड पोस्ट ऑफिस के सामने बजरिया सवाई माधोपुर का निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण दुकान पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय दिया। निरीक्षण के दौरान पाया कि लगभग 25 किलोग्राम एक भगोने मे खीरमोहन (छैना, सूजी व चीनी से निर्मित) बिक्री हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहा और फार्म 5ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

उक्त मावा मे से 1 किलोग्राम मावा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विक्रेता को रू0 300 /– (तीन सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खीरमोहन को बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द जैन द्वारा कार्यालय मे पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिसमें नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सील बंद कर सील मोहर ... एवं अलग से सील्ड लिफाफे मे तथा अलग से दो प्रतियां फार्म नम्बर 6 की अलग से एक लिफाफे मे सील ... कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को मौ0 असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों मे एक खाकी कागज मे लेपट कर कागज के कोनो पर गोंद से चिपकाकर चारो ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/2520 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1616/एक्ट/2021/231 दिनांक 08.11.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण मे खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1616/एक्ट/2021/231 दिनांक 08.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक खाद्य [illegible] निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) [illegible] जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना [illegible] अपराध [illegible] अतः [illegible]

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-

कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी

वकील अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ में किसी भी कार की मिलावट नहीं की जाती है। उक्त जांच रिपोर्ट में **B.R. Reading of extracted fat at** 0 C. नियमानुसार 40 से 43 होना चाहिए था जो 43.4 डिग्री आया है। जो भी उक्त खाद्य पदार्थ उसकी मियाद केवल 9–10 दिवस हैं। अधिक समय तक रखने के कारण आई है। सामान्तय खीरमोहन को खाने की मियाद 5–6 दिवस तक होती है। लेकिन उक्त जांच रिपोर्ट 09 दिवस पश्चात् की है, साथ ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने अभियुक्त के विरूद्ध की कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1616/एक्ट/2021/231 दिनांक 08.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने खाद्य वस्तु खीरमोहन का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शारित से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी